रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 1973/ज्यैष्ठ 22, 1895
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 1973/JYAISTHA 22, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th *June*, 1973

G.S.R, 310 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, Namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule V to the Passports Rules, 1967, after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3
"13	Issue of a duplicate passport in lieu of the India-Bangladesh Passport which has been lost, stolen, damaged or destroyed	Rs. 10·00
14	Miscellaneous service on an India-Bangladesh Passport	Rs. 2·00 per service.
15	Issue of a new Passport Booklet when all the pages in an existing India-Bangladesh Passport are exhausted.	Rs. 2·00"

[No. VI/401/50/72]

AVTAR SINGH, Secy

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

जी० एस० आर० 310 (अ).—पारपत्र अधिनियम, 1967 (1967 के 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतत् द्वारा पारपत्र नियम 1967 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा :—

1. (क) इन नियमों को पारपत्र (संशोधन) नियम, 1973 की संज्ञा दी जाय।

(ख) ये नियम राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पारपत्र-नियम, 1967 की अनुसूची V में क्रमांक 12 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ लिया जाय, यथा :—

1	2	3
		रु०
"13.	खो जाने, चोरी चले जाने, खराब हो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में भारत-बंगला देश पारपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना ।	10.00
14.	भारत बंगला देश पारपत्र पर विविध सेवा	2.00 प्रति सेवा
15.	जब मौजूदा भारत-बंगलादेश पारपत्र के सब पृष्ठ भर गये हों तो नई पारपत्र—पुस्तिका का जारी किया जाना	2.00

[संख्या छै/401/50/72]

अवतार सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973